



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 68/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

क. अनुसूची I- 2.5% में, —

- (i) क्रम संख्या 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ख. अनुसूची II- 6% में, —

- (i) क्रम संख्या 132क और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 132क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

| | | |
|--------|------|---|
| "132कक | 5007 | सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े |
| 132कख | 5111 | कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन बाल से बुने हुए कपड़े |
| 132कग | 5112 | कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन बालसे बुने हुए कपड़े |
| 132कघ | 5113 | पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े |
| 132कड. | 5208 | कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक न हो |
| 132कच | 5209 | कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक हो |
| 132कछ | 5210 | कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर से मिश्रित हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक न हो |

| | | |
|-------|------|---|
| 132कज | 5211 | कपास से बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास का भार से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक हो |
| 132कझ | 5212 | अन्य बुने हुए सूती कपड़े |
| 132कञ | 5309 | पलैक्स के बुने हुए कपड़े |
| 132कट | 5310 | जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्टोफाइबर्स, जो कि शीर्ष 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े |
| 132कठ | 5311 | अन्ये वानस्पतिक टेक्स टाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”; |

- (iii) क्रम संख्या 132ख और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 132ख और तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|--------|------|--|
| 132खक | 5401 | मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं |
| 132खख | 5402 | सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्स से कम का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है |
| 132खग | 5403 | आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्स से कम का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है |
| 132खघ | 5404 | 67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो |
| 132खड. | 5405 | 67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो |
| 132खच | 5406 | मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो |
| 132खछ | 5407 | सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्ष 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों |
| 132खज | 5408 | आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्ष 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों”; |

- (v) क्रम संख्या 132ग और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 132ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|--------|------|---|
| 132गक | 5501 | सिंथेटिक फिलामेंट टो |
| 132गख | 5502 | आर्टिफिशियल फिलामेंट टो |
| 132गग | 5503 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों |
| 132गघ | 5504 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों |
| 132गड. | 5505 | मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट; (जिसमें नोएल्लिस, यार्न अपशिष्ट; और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है) |
| 132गच | 5506 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों |
| 132गछ | 5507 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों |

| | | |
|-------|------|---|
| 132गज | 5508 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं |
| 132गझ | 5509 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों |
| 132गज | 5510 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों |
| 132गट | 5511 | मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों |
| 132गठ | 5512 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स का भार 85% या इससे अधिक हों |
| 132गड | 5513 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170g/m ² से अधिक न हो |
| 132गढ | 5514 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170g/m ² से अधिक हो |
| 132गण | 5515 | सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े |
| 132गत | 5516 | आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े”; |

(vii) क्रम संख्या 132घ और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 139 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“टिवन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेग्नेटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं”;

(ix) क्रम संख्या 139 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|-------|------|---|
| “139क | 5608 | टिवन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स-फिशिंग नेट्स के मेड अप्सा” और अन्य मेड अप्सा नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के”; |
|-------|------|---|

(x) क्रम संख्या 146 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|-------|------|--|
| “146क | 5801 | बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्सन, उन फेब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं |
|-------|------|--|

(xi) क्रम संख्या 151 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|-------|------|---|
| “151क | 5806 | नैरो ओवेन फेब्रिक्स, शीर्ष 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेपट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुड़े हों; |
|-------|------|---|

(xii) क्रम संख्या 154 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“ब्रेड नग में; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बाल, फून्द्ना और वैसी ही वस्तुएं”;

(xiii) क्रम संख्या 155 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े, जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो”;

- (xiv) क्रम संख्या 156 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिफ्स में हों";
- (xv) क्रम संख्या 168 के सामने, खाना (3) में, "इस अध्याय", शब्दों के स्थान पर, "अध्याय 59" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xvi) क्रम संख्या 168 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|-------|------|---|
| "168क | 6001 | पाईल फेब्रिक्स, जिसमें "लांग पाईल" फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों |
| 168ख | 6002 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 के अंतर्गत आते हैं |
| 168ग | 6003 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो कि शीर्ष 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं |
| 168घ | 6004 | निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार का हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 के अंतर्गत आते हैं |
| 168ड. | 6005 | वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001से 6004तक में आते हों |
| 168च | 6006 | अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स"; |

- (xvii) क्रम संख्या 169 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड";
- (xviii) क्रम संख्या 170 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमानके स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हों";
- (xix) क्रम संख्या 171 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 171क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | |
|---------|------|--|
| "171क1 | 6301 | कंबल और ट्रैवलिंग रग्स |
| 171क2 | 6302 | बेडलिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन |
| 171क3 | 6303 | कर्टैन्स (ड्रैप्स समेत) और इंटरियर ब्लाईंड्स; कर्टेन या बेड वेलेन्सेंस |
| 171क4 | 6304 | फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9404 के अंतर्गत आते हैं |
| 171क5 | 6305 | बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो |
| 171क6 | 6306 | तिरपाल, शामियाना और सनब्लाईंड्स; तंबू ; नावों के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान |
| 171क7 | 6307 | अन्य विनिर्मित वस्तुएं, ड्रैस पेटनर्स समेत |
| 171क8 | 6308 | सेट्स, जो कि वोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों, चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग में रखा गया हो |
| 171क9 | 6309 | पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं |
| 171क10 | 6310 | प्रयोग में लाए गए या नए रैग्स, स्क्रेप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, टेक्सेटाईल्स सामग्री के"; |
| "171क11 | 64 | फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक हो।"; |

ग. अनुसूची III – 9% में, –

(झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

2. यह अधिसूचना, प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 68/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017-

a. in Schedule I – 2.5%, -

(i) serial number 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and entries thereagainst shall be omitted;

b. in Schedule II – 6%, -

(i) serial number 132A and entries thereagainst shall be omitted;

(ii) after serial number 132A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|--------|------|---|
| “132AA | 5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste. |
| 132AB | 5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. |
| 132AC | 5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. |
| 132AD | 5113 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair. |
| 132AE | 5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m ² . |
| 132AF | 5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/ m ² . |
| 132AG | 5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibers, weighing not more than 200g/ m ² . |
| 132AH | 5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibers, weighing more than 200g/ m ² . |
| 132AI | 5212 | Other woven fabrics of cotton. |
| 132AJ | 5309 | Woven fabrics of flax. |
| 132AK | 5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibers of heading 5303. |
| 132AL | 5311 | Woven fabrics of other vegetable textile fibers; woven fabrics of paper yarn.”; |

(iii) serial number 132B and entries thereagainst shall be omitted;

- (iv) afterserial number 132B and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|--------|------|---|
| “132BA | 5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale. |
| 132BB | 5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex. |
| 132BC | 5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex. |
| 132BD | 5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. |
| 132BE | 5405 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm. |
| 132BF | 5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale. |
| 132BG | 5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404. |
| 132BH | 5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”; |

- (v) serial number 132C and entries thereagainst shall be omitted;
- (vi) afterserial number 132C and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|--------|------|--|
| “132CA | 5501 | Synthetic filament tow. |
| 132CB | 5502 | Artificial filament tow. |
| 132CC | 5503 | Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CD | 5504 | Artificial staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CE | 5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibers. |
| 132CF | 5506 | Synthetic staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CG | 5507 | Artificial staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning. |
| 132CH | 5508 | Sewing thread of man-made staple fibers, whether or not put up for retail sale. |
| 132CI | 5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers, not put up for retail sale. |
| 132CJ | 5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers, not put up for retail sale. |
| 132CK | 5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibers, put up for retail sale. |
| 132CL | 5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibers. |
| 132CM | 5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing less than 85% by weight of such fibers, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/ m ² . |

| | | |
|-------|------|--|
| 132CN | 5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing less than 85% by weight of such fibers, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/ m ² . |
| 132CO | 5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibers. |
| 132CP | 5516 | Woven fabrics of artificial staple fibers.”; |

- (vii) serial number 132D and entries thereagainst shall be omitted;
- (viii) against serial number 139, in column (3), for the existing entry, the entry “Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics.” shall be substituted;
- (ix) after serial number 139 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|------|--|
| “139A | 5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.”; |
|-------|------|--|

- (x) after serial number 146 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|------|--|
| “146A | 5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.”; |
|-------|------|--|

- (xi) after serial number 151 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|------|---|
| “151A | 5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).”; |
|-------|------|---|

- (xii) against serial number 154, in column (3), for the existing entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.” shall be substituted;
- (xiii) against serial number 155, in column (3), for the existing entry, the entry “Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.” shall be substituted;
- (xiv) against serial number 156, in column (3), for the existing entry, the entry “Embroidery in the piece, in strips or in motifs.” shall be substituted;
- (xv) against serial number 168, in column (3), for the words “this Chapter”, the word and the figure “Chapter 59” shall be substituted;
- (xvi) after serial number 168 and entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|------|--|
| “168A | 6001 | Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted. |
| 168B | 6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001. |
| 168C | 6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002. |
| 168D | 6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001. |
| 168E | 6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004. |
| 168F | 6006 | Other knitted or crocheted fabrics.”; |

- (xvii) against serial number 169, in column (3), for the existing entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.” shall be substituted;
- (xviii) against serial number 170, in column (3), for the existing entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.” shall be substituted;

- (xix) serial number 171 and entries thereagainst shall be omitted;
- (xx) after serial number 171A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

| | | |
|--------|------|---|
| 171A1 | 6301 | Blankets and travelling rugs. |
| 171A2 | 6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen. |
| 171A3 | 6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances. |
| 171A4 | 6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404. |
| 171A5 | 6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods. |
| 171A6 | 6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods. |
| 171A7 | 6307 | Other made up articles, including dress patterns. |
| 171A8 | 6308 | Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale. |
| 171A9 | 6309 | Worn clothing and other worn articles. |
| 171A10 | 6310 | Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials. |
| 171A11 | 64 | Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.” |

c. in Schedule III – 9%, -

- (i) serial numbers 159, 160, 161, 162 and 163 and entries thereagainst shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.